# अध्याय-1 प्रस्तावना

## 1.1 पृष्ठभूमि

स्वच्छ भारत मिशन को प्रधानमंत्री द्वारा, 2 अक्तूबर 2014 को प्रारम्भ किया गया जो 2019 तक शतप्रतिशत खुला शौच मुक्त भारत पर लक्षित है। इससे पूर्व, खुले शौच का निवारण हेतु इसी प्रकार के लक्ष्य 2012 के लिए निर्धारित किए गए थे जिसे 2017 तक संशोधित किया गया तथा फिर इसे 2022 तक निर्धारित किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता हेतु योजनागत मध्यस्थता कम से कम पिछले तीन दशकों से जारी है। अद्यतन वि.स्वा.सं. की रिपोर्ट "पेयजल एवं स्वच्छता की प्रगति : 2012 अद्यतन" के अनुसार, खुले में शौच कर रहे व्यक्तियों की संख्या एशिया में लगातार कम हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत फिर भी विश्व में खुले में शौच कर रहे व्यक्तियों की उच्चतम संख्या (60.09 प्रतिशत) वाला देश बना हुआ है जो वास्तव में चिंता का विषय है।

असुरक्षित पेय जल का सेवन, मानव मल की अनुचित निस्तारण व्यवस्था; अनुचित वातावरणिक स्वच्छता तथा व्यक्तिगत एवं खाद्य स्वच्छता की कमी विकासशील देशों में कई रोगों के मुख्य कारण रहे हैं। उच्च शिशु मृत्यु-दर भी खराब स्वच्छता के कारण ही है।

## 1.2 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक दृष्टि में

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान प्रारम्भ किए गए स्वच्छता कार्यक्रमों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तनों के साथ कमोवेश समान कार्य शामिल हैं (**चार्ट 1.1**)। इस लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि में दो योजनाएं: संपूर्ण स्वच्छता अभियान (सं.स्व.अ.) तथा निर्मल भारत अभियान

(नि.भा.अ.) शामिल है। सं.स्व.अ. का 01 अप्रैल 2012 से नि.भा.अ. के रूप में नाम बदल दिया गया था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को त्वरित करना था जिससे कि सं.स्व.अ. की मॉग-संचालित दृष्टिकोण के पूरक रूप में संतृप्तता की स्थिति वाले दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके। नि.भा.अ. निर्मल ग्राम पंचायतों का सृजन करने हेतु संतृप्त परिणामों के लिए सभी समुदाय को शामिल करने की अभिकल्पना करता है।

**चार्ट -1.1: ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रमिक विकास**

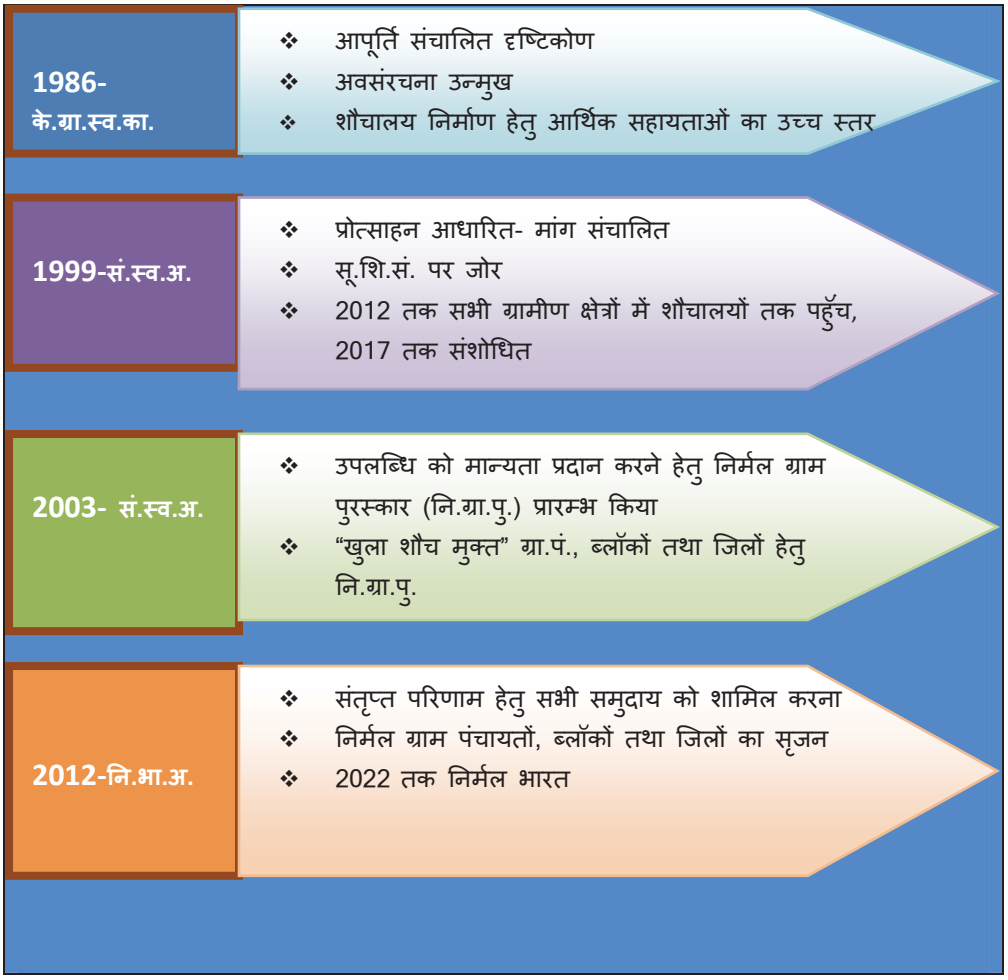

## 1.3 उद्देश्य एवं क्रियाकलाप

जहाँ तक मुख्य विचार एवं प्रक्रिया का प्रश्न है समय के साथ कार्यक्रम बदलते रहे परंतु उनके मुख्य उद्देश्य तथा क्रियाकलाप निम्नलिखित रहे:

| उद्देश्य | कार्य/घटक |
|---|---|
| **जागरूकता तथा शिक्षा के माध्यम से धारणीय स्वच्छता सुविधाओं हेतु सामुदायिक तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रेरित करना** | • **प्रारम्भिक कार्य** जैसे स्वच्छता एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यों की स्थिति का आंकलन करने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण/आधार-रेखा सर्वेक्षण, जिला/ग्रा.पं. स्तर पर मुख्य कार्मिकों का अभिविन्यास तथा राज्य योजना तैयार करना;<br>• प.यो.ई. के सभी स्तरों पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य परिसरों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर सुविधाओं हेतु मांग को गति प्रदान करने के लिए **सू.शि.सं.[1] कार्य**<br>• कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण, चिनाई कार्य, ईंट-बनाने, शौचालय पैन बनाने, नल-साजी में स्वं.से.सं. को प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यों हेतु भी **क्षमता निर्माण।** |
| **सभी की शौचालयों तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को तीव्र करना** | • विस्तृत संरचना, जिसमें या तो सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत पात्र श्रेणियों को सहायता प्रदान करके या फिर प्रेरणा द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया हो, सहित व्यक्तिगत परिवार शौचघरों का निर्माण।<br>• ग्रामीण स्वास्थ्यकर बाज़ारों तथा उत्पादन केन्द्रों (ग्रा.स्व.बा. एवं उ.के.) की स्थापना जो स्वच्छ शौचघरों के निर्माण हेतु |

[1] सूचना, शिक्षा तथा संचार

| | |
|---|---|
| | आवश्यक सामग्रियों, हार्डवेयर तथा डिजाईन में कार्य कर रहे बाजारों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागत प्रभावी, वहनीय स्वास्थ्यकर सामग्री, शोषक एवं कम्पोस्ट गड्ढों, वर्मी-कम्पोस्टिंग, धुलाई प्लेटफार्म, प्रभावित घरेलू जल फिल्टर तथा आवश्यक अन्य स्वच्छता एवं हाईजीन की अतिरिक्त वस्तुओं को उपलब्ध करा रहे हों। |
| **छात्रों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर आदतों का सक्रिय विस्तार प्रारम्भ करना तथा उन विद्यालयों को जो सर्वशिक्षा अभियान में शामिल नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल करना।** | • उन सभी विद्यालयों/आंगनवाड़ी, जहॉ बच्चों के लिए शौचालय नहीं थे, में विद्यालयों में लडकियों हेतु शौचालयों पर अधिक जोर सहित **सांस्थानिक शौचालयों का निर्माण।** |
| **पारिस्थितिक सुरक्षक तथा धारणीय स्वच्छता हेतु प्रभावी लागत तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना.** | • ग्राम में उस स्थान, जो सभी के लिए स्वीकार्य तथा सुगम हो, में **सामुदायिक स्वस्थ्यकर परिसरों (सा.स्व.प.) का निर्माण** जो शौच सीटों, स्नान कक्षों, धुलाई प्लेटफार्मों, वॉश बेसिनों आदि की उपयुक्त संख्या से मिलकर बने हो। |
| **सामुदायिक प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सफाई हेतु ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केन्द्रीकृत हों।** | • कम्पोस्ट गड्ढा, वर्मी कम्पोस्टिंग, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्रो, निम्न लागत वाली जलनिकासी, शोषक चैनल/गड्ढा, व्यर्थ जल का पुन: उपयोग तथा घरेलू कचरे के एकत्रण, वियोजन एवं निपटान की प्रणाली आदि, जैसे कार्यों हेतु **ठोस एवं तरल व्यर्थ प्रबंधन (ठो.त.व्य.प्र.) इकाईयों की स्थापना** |

## 1.4 कार्यक्रमों का वित्त पोषण

भारत सरकार ने 2009-10 से 2013-14 तक स्वच्छता हेतु ₹ 8,634.61 करोड़ जारी किए हैं जिसमें से ₹ 918.18 करोड़ 2009-10 की समाप्ति पर अंत शेष था जो 2013-14 की समाप्ति तक ₹ 2,450.52 करोड़ (166.89 प्रतिशत की वृद्धि सहित) तक बढ़ गया। यह राशि वर्ष की समाप्ति पर संघ तथा/अथवा राज्य की समेकित निधि के बाहर विभिन्न बैंक खातों में संचित रहा जो सुझाव देता है कि निधियों की कोई कमी नहीं थी बल्कि आवंटित निधियों का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था। ब्यौरे **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

**तालिका-1.1: जारी निधि, व्यय तथा अव्ययित शेष**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | अथशेष | निर्गम | वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज | कुल उपलब्ध निधि | व्यय | शेष | व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2+3+4) | 6 | 7=(5-6) | 8=(6/5*100) |
| 2009-10 | 1,190.61 | 1,038.85 | 22.79 | 2,252.25 | 1,334.07 | 918.18 | 59.23 |
| 2010-11 | 918.18 | 1,526.42 | 17.04 | 2,461.64 | 1,174.58 | 1,287.06 | 47.72 |
| 2011-12 | 1,287.06 | 1,440.59 | 15.17 | 2,742.82 | 1,335.73 | 1,407.09 | 48.70 |
| 2012-13 | 1,407.09 | 2,438.47 | 17.45 | 3,863.01 | 1,521.21 | 2,341.80 | 39.38 |
| 2013-14 | 2,341.80 | 2,190.28 | 31.71 | 4,563.79 | 2,113.27 | 2,450.52 | 46.31 |

**(स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े)**

निधीयन व्यवस्था इस प्रकार है कि भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी/समुदाय सभी संघटन-वार निर्धारित सहभाज्य प्रतिशतता के अनुसार सहयोग करते है जैसाकि समय-समय पर जारी योजना के दिशानिर्देशों में अभिकल्पना की गई है (ब्यौरे **अनुबंध 1.1** में)।

## 1.5 प्रचालन व्यवस्था

योजना पिछले कुछ दशकों से मिशन मोड में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक स्तर पर कार्यान्वयन, उत्तरदायित्वों के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाली एक संगठनात्मक संरचना **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है। राज्य/सं.शा.क्षे. के नोडल मिशन जो केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करते हैं,को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राज्य के बराबर अंश सहित इसे जिला कार्यान्वयन अभिकरण/अभिकरणों को जारी करना होता है।

चार्ट-1.2: सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना

## 1.6 विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार भारत में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति

### 1.6.1 यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट

देश में ग्रामीण स्वच्छता को सुधारने में प्रगति 1990 से 2012 की अवधि के दौरान निराशाजनक रही क्योंकि उन्नत स्वच्छता का विस्तार केवल18 प्रतिशतता अंकों तक बढ़ा जबकि निकटवर्ती देशों में यह 27 तथा 41 प्रतिशतता अंकों के बीच थी जैसा **चार्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है।

**चार्ट-1.3: प्रतिशतता अंक परिवर्तन 1990-2012**

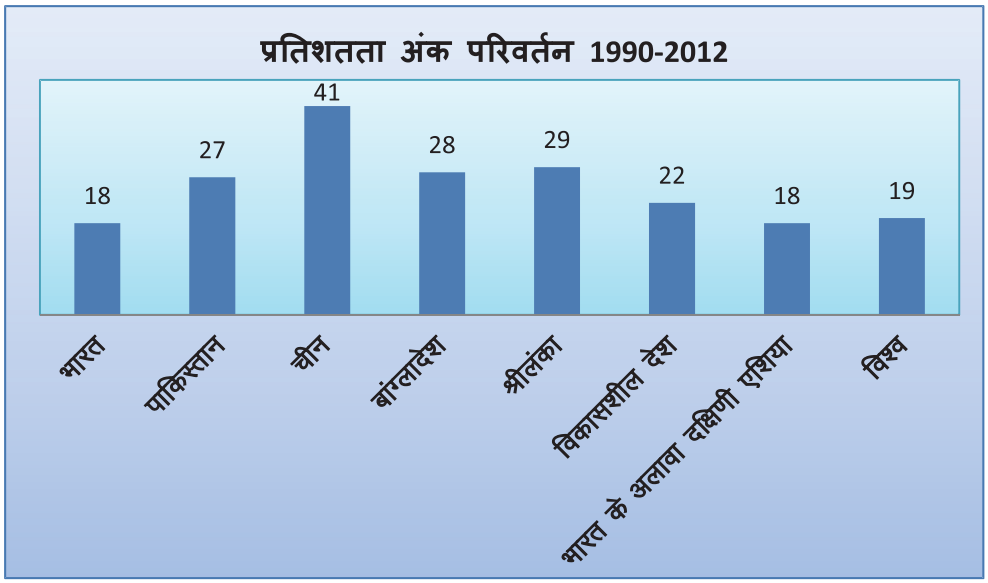


यूनिसेफ/वि.स्वा.सं. रिपोर्ट[2] के अनुसार, 2012 में भी जिस समय देश में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम शतप्रतिशत स्वच्छता प्राप्त करने पर लक्षित था फिर भी केवल 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की उन्नत स्वच्छता तक पहुंच थी जो 47 प्रतिशत के विश्व स्तर से काफी नीचे थी (विस्तृत डाटा **अनुबंध 1.2** में।) पाकिस्तान (34 प्रतिशत) तथा बांग्लादेश (58 प्रतिशत)

[2] पेय जल एवं स्वच्छता पर प्रगति: 2012 अद्यतन यूनिसेफ एवं वि.स्वा.सं. द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।

जैसे देश अपनी ग्रामीण जनसंख्या को उन्नत स्वच्छता प्रदान करने में भारत से आगे थे (**चार्ट-1.4**)।

**चार्ट-1.4: उन्नत स्वच्छता का उपयोग 2012**

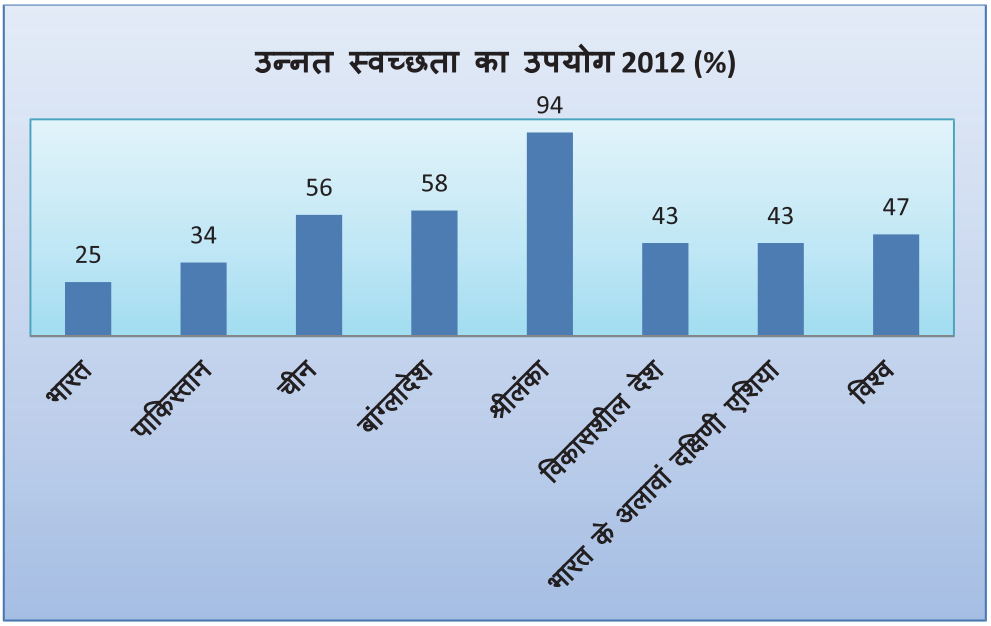


यह चिंता का विषय है कि प्रत्येक स्वच्छता कार्यक्रम, जो खुले शौच के निवारण पर लक्षित है, के साथ खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या का उच्च रहना जारी रहा। एशिया में गिरती प्रवृत्ति की स्थिरता के बावजूद वि.स्वा.सा. द्वारा भारत को विश्व में खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की उच्चतम संख्या (60.09 प्रतिशत) वाले देशों के रूप में दर्ज किया गया था। **चार्ट 1.5** में चित्रण कारणों की पहचान की मांग करता है।

**चार्ट-1.5: विश्व में खुला मलोत्सर्ग**

**(आंकड़े हजारों में)**

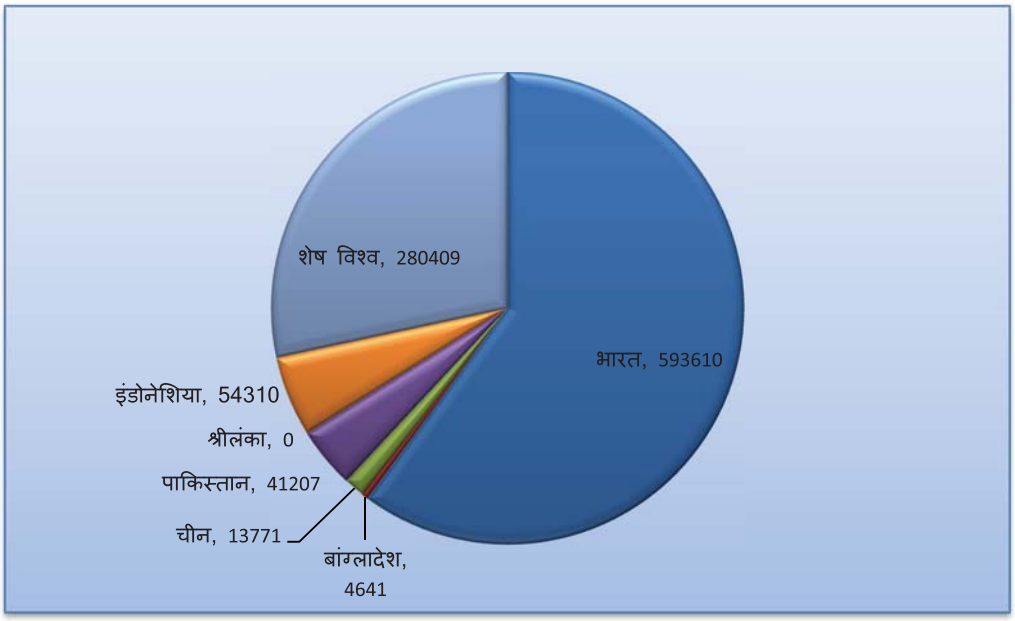


### 1.6.2 संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन

भारत के योजना आयोग ने मई 2013 में "संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन" जारी किया था। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने देश के 27 नमूना राज्यों में फैले 122 जिलों, 206 ब्लॉकों तथा 1,207 ग्राम पंचायतों को शामिल करके यह अध्ययन किया था। इस अध्ययन में की गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां **तालिका 1.2** में दी गई है:

**तालिका-1.2: संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन में अभ्युक्तियां**

| क्र.सं. | अभ्युक्ति |
|---|---|
| 1. | खुले में शौच करने वाले लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण परिवारो, जिसमें से 67 प्रतिशत शौचालयों की अनुपलब्धता/अपर्याप्तता के कारण ऐसा करने को बाध्य थे, का कम से कम एक सदस्य। |
| 2. | 'जानकारी की कमी' तथा स्थापित पुरानी पद्धति उन परिवारों के मामले में जहॉ शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थी, खुले में शौच के प्रमुख कारण थे। |
| 3. | लगभग 46 प्रतिशत परिवारों में फ्लशिंग हेतु पर्याप्त पानी था तथा नल का पानी केवल 3.61 प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध था। |
| 4. | 4.4 प्रतिशत परिवार बकिट शौचालय का स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन हेतु योजना में प्रावधान के बावजूद उसका उपयोग कर रहे थे। |

| क्र.सं. | अभ्युक्ति |
|---|---|
| 5. | 83 प्रतिशत चयनित ग्रा.पं. में कोई स्वास्थ्यकर परिसर नहीं था। |
| 6. | लगभग 13.8 प्रतिशत परिवार अभी भी नि.ग्रा.पु. से पुरस्कृत ग्रा.पं. खुले में शौच कर रहे थे। |

### 1.6.3 निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रभाव तथा स्थिरता का निर्धारण अध्ययन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'नि.ग्रा.पु. के प्रभाव तथा स्थायित्व पर अध्ययन' करने हेतु मार्च 2011 में एक अभिकरण को नियुक्त किया था। अध्ययन, उच्च, औसत तथा निम्न निष्पादन वाले राज्यों से प्रत्येक से चार का चयन करके बारह राज्यों में प्रारम्भ किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट ने प्रकट किया कि कई परिवारों के पास चालू शौचालय नहीं थे तथा नि.ग्रा.पु. से पुरस्कृत ग्रा.पं. में खुला मलोत्सर्ग जारी था। अध्ययन की महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को **तालिका 1.3** में सारांशित किया गया है।

**तालिका-1.3: नि.ग्रा.पु. अध्ययन में अभ्युक्तियां**

| क्र.सं. | अभ्युक्ति |
|---|---|
| 1. | कुल नमूना नि.ग्रा.पु.-ग्रा.पं. के लगभग 19 प्रतिशत परिवारों की किसी भी प्रकार के शौचालय तक पहुंच नहीं थी। |
| 2. | 23 प्रतिशत परिवारों में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से बंद शौचालय पाए गए थे। |
| 3. | लगभग 16 प्रतिशत परिवारों के पास ऐसे शौचालय थे जो या तो भरे हुए थे या फिर उनका पशु शैड अथवा भंडारण स्थान के रूप में उपयोग किया गया था। |
| 4. | लगभग 67 प्रतिशत परिवारों के सभी सदस्य नियमित रूप से खुले में शौच हेतु नहीं जा रहे थे जब कि लगभग 19 प्रतिशत की किसी भी प्रकार के शौचालय तक पहुँच नहीं थी और शेष 14 प्रतिशत का कम से कम एक सदस्य शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच के लिए जा रहा था। |
| 5. | केवल 26 प्रतिशत परिवारों के पास क्रियात्मक शौचालय थे। तथापि, क्रियात्मक प्रतिशतता से काफी अधिक करीबन 67 प्रतिशत परिवारों के सभी सदस्यों को नियमित रूप से शौचघर का उपयोग करना बताया गया था। |
| 6. | जहाँ तक स्वच्छता सुविधाओं के अंतर्गत शतप्रतिशत परिवारों तथा संस्थानों को शामिल करने का संबंध है तो वि.ग्रा.पु. की स्थिति को अधिकांश राज्यों में स्थायी नहीं पाया गया है। |

## 1.7 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा पद्धति

### 1.7.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी कि क्या:

i. विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतियॉ पर्याप्त तथा प्रभावी थीं और योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति पर लक्षित थीं;

ii. योजना के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निधियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी, दर्ज तथा उपयोग किया गया था;

iii. योजना के विभिन्न संघटको के अंतर्गत इकाईयों की संख्या के रूप में निर्धारित लक्ष्य देश में निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाले सभी ग्रा.पं. के साथ 2022 तक निर्मल भारत के वीजन को प्राप्त करने तथा बनाए रखने हेतु पर्याप्त थे;

iv. लाभार्थी के चयन की प्रणाली पारदर्शी थी तथा योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत अवसंरचना के निर्माण एवं सुधार, योजना दिशानिर्देश में निर्धारित वित्तीय एवं गुणवत्ता प्रतिमानों की अनुपालना में थी;

v. योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा तथा संचार की सामरिक नीति सामुदायिक संग्रहण के माध्यम से सं.स्व.अ./नि.भा.अ. की मांग को उत्पन्न करने में प्रभावी थी;

vi. नि.भा.अ. कार्यों का अन्य कार्यक्रमों/पणधारकों के साथ अभिसरण, जैसाकि अभिकल्पित था, को प्रभावी ढ़ंग से प्राप्त किया गया था।

vii. कार्यक्रम के परिणामों की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु स्थापित क्रियाविधि पर्याप्त तथा प्रभावी थी;

### 1.7.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस लेखापरीक्षा में 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि हेतु प्रचालन में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के सभी संघटकों को शामिल किया। इस में मंत्रालय में कार्यक्रम प्रभाग तथा 26 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.)[3] जहॉ योजना प्रचालनाधीन थी, के कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल है। गोवा, पुदुचेरी तथा सिक्किम राज्यों/सं.शा.क्षे. का प्रतिवेदन की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत नगण्य व्यय के कारण-चयन नहीं किया था।

नीति स्तर पर तथा जैसे सरकार से प्राप्त उत्तरों में प्रस्तुत है मार्च 2014 के बाद महत्वपूर्ण विकास को भी पूर्ण परिप्रेक्ष्य दर्शाने हेतु प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 1.7.3 लेखापरीक्षा नमूना

नमूने के चयन हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय ढांचे का उपयोग किया गया था:

- प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. में से कुल संस्वीकृत परियोजना लागत के रूप में आकार की माप से प्रतिस्थापन विधि के साथ आकार की समानुपाती संभावना का उपयोग करके 25 प्रतिशत जिलों (न्यूनतम दो के तहत) को चुना गया था;

[3] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, दादर एवं नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल।

- प्रथम चरण में प्रत्येक चयनित जिले के अंतर्गत, 20 प्रतिशत ब्लॉकों (न्यूनतम 2 के तहत) का चयन प्रणात्पोगत यादृच्छिक नमूना (प्रा.या.न.) पद्धति द्वारा किया गया था;
- दूसरे चरण में प्रत्येक चयनित ब्लॉक के अंतर्गत, 25 प्रतिशत ग्रा.पं. (अधिकतम 10 के तहत) का चयन प्र.या.न. पद्धति द्वारा किया गया था;
- प्रत्येक चयनित ग्रा.पं. के अंतर्गत, 10 लाभार्थियों (एक ग्राम से अधिकतम पॉच) को प्र.या.नि. पद्धति द्वारा भौतिक सत्यापन तथा लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु लाभार्थी (परिवार) सूची से चुना गया था;

लेखापरीक्षा नमूना में शामिल को नीचे **चार्ट-1.6** में दिया गया है:

**चार्ट-1.6: नमूना चयन**

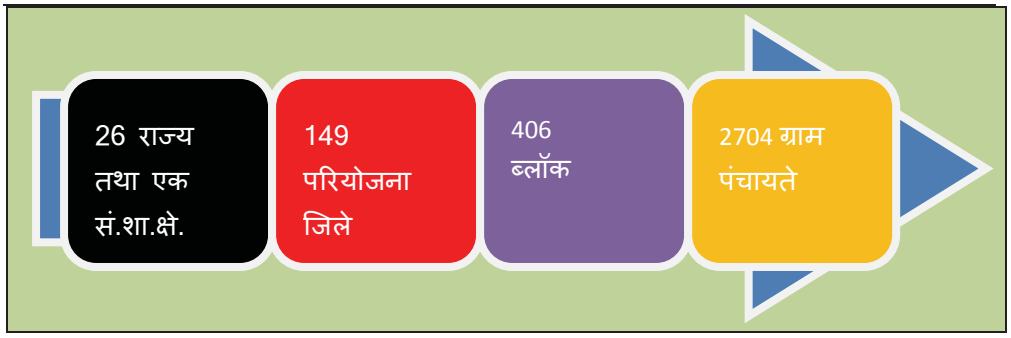


आगे 23979[4] लाभार्थियों को नमूना सर्वेक्षण हेतु शामिल किया गया था। नमूना जिलों के विवरण **अनुबंध-1.3** में दर्शाए गए हैं।

### 1.7.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड तैयार करने के स्रोत

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. योजना के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त मापदण्ड के संदर्भ में की गई थी:

[4] पंजाब को छोड़कर

- 2007, 2010 तथा 2011 में जारी प्रचालन दिशानिर्देशों तथा नि.भा.अ. दिशानिर्देश 2012 के तीन सैट; पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएं तथा परिपत्र
- मंत्रालय द्वारा जारी सू.शि.सं. दिशानिर्देश 2010, स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर प्रोत्साहन तथा संचार नीति ढांचा 2012-2017;
- सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार के आदेश;
- स्वच्छता दूत/प्रेरक की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश;
- निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु दिशानिर्देश;
- योजना की वैबसाईट (tce.gov.in) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) के अंतर्गत बताई गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, प्रशासनिक नियमावली तथा प्रक्रियाओं की अनुपालना।

### 1.7.5 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2014 में मंत्रालय के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र उद्देश्यों तथा मापदण्ड की व्याख्या की गयी थी। इसके साथ ही संबंधित महालेखाकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में योजना के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभागों के साथ प्रवेश सम्मेलन किए गए थे। इसके पश्चात, मई 2014 से अक्तूबर 2014 तक मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों में योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा के समापन के पश्चात सितंबर 2014 से मार्च 2015 के दौरान तेईस राज्यों में निर्गम सम्मेलन किए गए थे।

### 1.7.6 लेखापरीक्षिती की प्रतिक्रिया

16 मार्च 2015 को मंत्रालय को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी किया गया था। मंत्रालय ने अपने पत्र व्यवहार दिनांक 7 अप्रैल 2015 में राज्यों से उत्तर प्राप्त करने में दो महीनों की अतिरिक्त अवधि की मांग की। तथापि, तीन महीनों के बीत जाने के बाद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। मंत्रालय के साथ निर्गम सम्मेलन 9 जून 2015 को किया गया था तथा सम्मेलन में मंत्रालय द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर ध्यान दिया गया और प्रतिवेदन में उनका समावेश किया गया है।

### 1.7.7 रिपोर्टिंग पद्धति

निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक कथित उद्देश्य पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अध्याय 2 से 8 में चर्चा की गई है। अध्याय 2 योजना के कार्यकलापों के बारे में विचार करता है, अध्याय 3 परियोजना कार्यान्वयन पर विचार करता है, अध्याय 4 निधियों के प्रबंधन पर विचार करता है तथा अध्याय 5, 6 एवं 7 क्रमश: सू.शि.सं., अभिसरण तथा मॉनीटरिंग पर विचार करते हैं। लेखापरीक्षिती के उत्तर, जहॉ कहीं प्राप्त हुए, पर ध्यान दिया गया है तथा उन्हें उपयुक्त रूप से निष्कर्षों में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित अनुशंसा(एं) प्रत्येक अध्याय में दी गई है।